

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक २९.६.२०२०

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 द्वारा श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में पैरवी हेतु आवंटित पशुपालन विभाग उनसे प्रत्याहरित (withdraw) कर श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

साथ ही समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 की निरन्तरता में श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में उर्जा (Energy) विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

नोट:- शेष सेवाशर्त पूर्वानुसार ही रहेगी।

आज्ञा से,

४०
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. शासन सचिव, पशुपालन विभाग / उर्जा विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच।
5. समस्त राजकीय अधिवक्तागण / गवर्नर्मेंट काउन्सिलगण, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर से पशुपालन विभाग से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों/पत्रावलीयां प्राप्त कर, प्राप्त की गयी प्रकरणों व पत्रावलीयों की सूची इस कार्यालय को पशुपालन विभाग को प्रेषित करें।
8. श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उर्जा विभाग से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन प्रकरणों की समस्त न्यायिक पत्रावलियां जो उनकी अभिरक्षा में थी, श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल, जयपुर को सुपुर्द करवाकर, इस कार्यालय को एवं पशुपालन विभाग को मय सूची के अवगत कराने का श्रम करें।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. लेखा शाखा, विधि विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

२९.६.२०२०
(हुक्म सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/ वाद/ 08, पार्ट

जयपुर दिनांक 29-07-2020

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 द्वारा श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में पैरवी हेतु आवंटित पशुपालन विभाग उनसे प्रत्याहरित (Withdraw) कर श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

साथ ही समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 की निरन्तरता में श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में ऊर्जा (Energy) विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

नोट:- शेष सेवाशर्ते पूर्वानुसार ही रहेगी।

आज्ञा से,
ह0
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/ विशेषाधिकारी, माओ मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, माओ विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. शासन सचिव, पशुपालन विभाग/ ऊर्जा विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच।
5. समस्त राजकीय अधिवक्तागण/ गवर्नर्मेंट काउन्सिलगण, जयपुर/ जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर से पशुपालन विभाग से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों/ पत्रावलियां प्राप्त कर, प्राप्त की गयी प्रकरणों व पत्रावलियों की सूची इस कार्यालय को पशुपालन विभाग को प्रेषित करें।
8. श्री भगवत् सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे ऊर्जा विभाग से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन प्रकरणों की समस्त न्यायिक पत्रावलियां जो उनकी अभिरक्षा में थी, श्रीमती प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नर्मेंट कौसिल, जयपुर को सुपुर्द करवाकर, इस कार्यालय को एवं पशुपालन विभाग को मय सूची के अवगत कराने का श्रम करें।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. लेखा शाखा, विधि विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

29/07/2020

(हुक्म सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि